

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2017

अधिसूचना

जी.एस.आर. — संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकत्ता (समूह घ पद) भर्ती नियम, 1982 के अधिक्रमण में, जहां ऐसे अधिक्रमण से पहले कुछ जोड़ा या हटा दिया गया हो, को छोड़कर राष्ट्रपति अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकत्ता में मल्टी टास्किंग स्टॉफ के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभण: (1) इन नियमों को अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य, कोलकत्ता, मल्टी टास्किंग (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) ये नियम उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. अनुप्रयोग - ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतन का वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा इससे संबद्ध वेतन का वेतनमान इन नियमों में संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।
4. भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यताएं, इत्यादि - भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यता एवं उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. अयोग्यता:- कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित हैं, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, के बावजूद उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार इससे सहमत हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति एवं विवाह के लिए अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है तथा यह कि ऐसा करने के लिए अन्य कारण हैं, उन्हें इस नियम के प्रचालन से छूट दी जाएगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करने के लिए यह अनिवार्य अथवा व्यावहारिक है, वहां इसे आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में रिकार्ड करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके व्यक्तियों अथवा पदों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है।

7. बचत - इन नियमों से केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण आयु सीमा में छूट तथा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य अपेक्षित छूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|--|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. मल्टी टास्किंग स्टाफ (सामान्य श्रेणी) | 127 (एक सौ सत्ताईस)* (2015) * कार्य भार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रुपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी। | मैट्रिक उत्तीर्ण या किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| <p>क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी</p> | <p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है</p> | <p>भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p> | <p>पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है:</p> | <p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना कैसी है</p> | <p>परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।</p> |
| <p>8</p> | <p>9</p> | <p>10</p> | <p>11</p> | <p>12</p> | <p>13</p> |
| <p>लागू नहीं</p> | <p>दो वर्ष</p> | <p>सीधी भर्ती द्वारा</p> | <p>लागू नहीं</p> | <p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर निदेशक- अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | <p>लागू नहीं</p> |

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. मल्टी टास्किंग स्टाफ (आया) | 10 (दस)* (2015) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रुपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी। | अनिवार्य: मैट्रिक उत्तीर्ण या किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण वांछनीय: एनएबीएच मान्यता-प्राप्त अस्पतालों में रोगियों की देखभाल करने का एक वर्ष का अनुभव टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है: | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना कैसी है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक- अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | लागू नहीं |

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|--|--|---|---|--------------------------------|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. मल्टी टास्किंग स्टाफ (प्रयोगशाला परिचारक) | 28 (अट्ठाइस)* (2015) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रुपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी | अनिवार्य: मैट्रिक उत्तीर्ण या किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण वांछनीय: एनएबीएल मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला में प्रयोगशाला कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है: | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना कैसी है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक- अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | लागू नहीं |

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. मल्टी टास्किंग स्टाफ (रसोइया) | 5 (पांच)* (2015) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रुपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी | अनिवार्य: मैट्रिक उत्तीर्ण या किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण वांछनीय: एनएबीएच मान्यता-प्राप्त अस्पताल में आहार तैयार करने का एक वर्ष का अनुभव टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है: | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना कैसी है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक - अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | लागू नहीं |

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. मल्टी टास्किंग स्टाफ (बढ़ई) | 2 (दो)* (2015) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रुपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी | अनिवार्य: किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान से संगत ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र। टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|---|----------------------------|--------------------------------|
| क्या सीधी भर्ती के | परिवीक्षा की अवधि, | भर्ती की विधि, क्या | पदोन्नति | / | यदि विभागीय पदोन्नति समिति | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|---|----------------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|--|------------|--|--|---|--|
| लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी | यदि कोई है | सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है: | है, तो उसकी संरचना कैसी है | हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक - अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | लागू नहीं |

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------|---------------|------|---------------------|--|
| पद का | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं | क्या | सीधी भर्ती हेतु आयु | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित |
|-------|----------------|----------|---------------|------|---------------------|--|

| नाम | | | ग्रेड वेतन | प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीमा | योग्यताएं |
|--|---|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. मल्टी टास्किंग स्टाफ (नलकूप मिस्त्री) | 2 (दो)* (2015) * कार्य भार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रूपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रूपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी | अनिवार्य: किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान से संगत व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र। टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है: | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना कैसी है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक- अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | लागू नहीं |

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|---|---|---|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. मल्टी टास्किंग स्टाफ (जीव-जन्तु परिचारक) | 5 (पांच)* (2015) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रुपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा किए गए विज्ञापन के अनुसार होगी। | अनिवार्य: किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष उत्तीर्ण । वांछनीय: अनुसंधान कार्यों के लिए जीव-जन्तु प्रयोगशालाओं में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है: | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना कैसी है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक- अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता, अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता-सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | लागू नहीं |

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|
| 8. मल्टी टास्किंग स्टाफ (सफाईवाला) | 36 (छत्तीस)* (2015) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रुपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा किए गए विज्ञापन के अनुसार होगी। | अनिवार्य: किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष उत्तीर्ण। टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है: | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना कैसी है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक- अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | लागू नहीं |

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. मल्टी टास्किंग स्टाफ (क्लिनर) | 5 (पांच)* (2015) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रूपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रूपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी | अनिवार्य: मैट्रिक उत्तीर्ण या किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण वांछनीय: किसी कार/हेवी मोटर वाहन विनिर्माता कंपनी के किसी अधिकृत सेवा केन्द्र में कारों / हेवी मोटर वाहनों की सफाई का अनुभव। टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है: | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना कैसी है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक - अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | लागू नहीं |

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. मल्टी टास्किंग स्टाफ (माली) | 9 (नौ)* (2015) * कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अधीन | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, रुपए 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपए 1800/- | लागू नहीं | 18 से 25 वर्ष की आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: निर्धारित आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी | अनिवार्य: मैट्रिक उत्तीर्ण या किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण वांछनीय: किसी वागवानी फार्म में बागवानी करने का एक वर्ष का अनुभव टिप्पणी:1 अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित में रिकार्ड किए जाने पर योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है अन्यथा अभ्यर्थी को पूर्णतः योग्य होना चाहिए। टिप्पणी:2 यदि चयन की किसी भी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट देना कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है। |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है: | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना कैसी है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर निदेशक - अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता - सदस्य 3. एक समूह 'क' का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य | लागू नहीं |